

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

प्राधिकार से प्रकाशित

ਸਂ. 2233] No. 2233] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2013/आश्विन 3, 1935

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2013/ASVINA 3, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 25 सितम्बर, 2013

का.आ. 2905(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण / केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11—'क' के अन्तर्गत दिल्ली मुख्य योजना—2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपित्त / सुझाव देने हों, तो वे अपनी आपित्तयां / सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली—110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपित्तयां करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति साफ अक्षरों में अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर भी दें।

संशोधन :

पैरा /		दि.मु.यो. 2021
क्र.सं.	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
1	2	3

अध्याय ४.० – आश्रय

4.4.3 क. आवासीय प्लॉट – प्लॉटेड आवास, निबंधन एवं शर्तें

1. (vi) तहखाना :

तहखाने का उपयोग भवन उपविधि के अंतर्गत अनुमेय उद्देश्यों अर्थात् घरेलू स्टोरेज और पार्किंग के लिए होने पर उसे एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुमेय और स्वीकृत निर्मित क्षेत्र के अनुसार तहखाने का क्षेत्रफल भूतल कवरेज से अधिक नहीं होगा, तथापि इसे आंतरिक कोर्टयार्ड और शॉफ्ट के नीचे तक बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 15.0 मिश्रित उपयोग विनियमों के संबंध में यदि तहखाने का उपयोग किया जाता है तो उसे एफ.ए.आर. में गिना जाएगा और उचित प्रभारों का भूगतान करना होगा, यदि यह

(vi) तहखाना :

तहखाने का उपयोग भवन उपविधि के अंतर्गत अनुमेय उद्देश्यों अर्थात् घरेलू स्टोरेज और पार्किंग के लिए होने पर उसे एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा। तहखाने की अनुमित सेट बैक लाइन तक होगी। जहां पर भी सेटबैक निर्धारित नहीं है वहां पर तहखाने में चारों ओर कम से कम 2 मीटर सेटबैक का प्रावधान होगा। अध्याय 15.0 मिश्रित उपयोग विनियमों के संबंध में यदि तहखाने का उपयोग किया जाता है तो उसे एफ.ए.आर. में गिना जाएगा और उचित प्रभारों का भुगतान करना होगा, यदि यह अनुमेय एफएआर से अधिक हो जाता है।

4122 GI/2013 (1)

अनुमेय एफएआर से अधिक हो जाता है।

अध्याय ५.० – व्यापार एवं वाणिज्य

तालिका ५.४ : विकास नियंत्रण – व्यावसायिक केन्द्र

2.			-			
7	उपयोग / उपयोग उरिसर	अधिकतम कपरेज (%)	एफ ए आर	ऊंचाई (मीटर)	पार्किंग मानक ईसीएस / तल क्षेत्रफल का 100 वर्गमीटर	अन्य नियंत्र
1	प्र) होटल	40	225 #	एन आर*	3@	i. प्रांगण लिए अधिकतम् 10% अतिरिक्त की अनुम होगी। य प्रांगण किए अनुम होगी। य प्रांगण किए किया जयं किया जयं किया जयं किया किया के लिए कि अनुमा के लिए कि अनुमा के लिए कि अनुमा के लिए कि अनुमारः) अधिकतम 20% व्यावसायिक कार्यां के लिए कि कि एकि कि हो। iii. एक अनुम सरकार बढ़े हो। एफ अधिस्थित कि एकि कि हो। संग्राह्म कि एकि अनुमात के लिए कि कि एकि कि हो। संग्राह्म कि एकि सका है। संग्राह्म सरकार कि एकि सका है। संग्राह्म संग्राह्म कि एकि एकि सका है। संग्राह्म संग्रा

एन.आर.* – कोई प्रतिबंध नहीं, ए.ए.आई., दिल्ली अग्नि शमन सेवा एवं अन्य वैधानिक निकायों से विलयरेंस की शर्त पर।

एफ.ए.आर.# — 225 एफ.ए.आर. और 40% भू—तल कवरेज के मानक सभी होटलों के संबंध में लागू माने जाएंगे, जिनमें (क) व्यावसायिक केन्द्रों (IV), (V) और (ख) मेट्रोमॉलिटन सिटी सेंटर/ सेंट्रल बिजिनिस डिस्ट्रिक्ट में स्थित होटल प्लॉट भी शामिल हैं किंतु लुटियंस बंगला जोन क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र और विरासत संरचनाओं में स्थित होटल शामिल नहीं हैं। ये मानक पैरा 5.8 में उल्लिखित होटलों की सभी श्रेणियों पर लागू होंगे। तालिका 5.4 (क) और (ख) में उल्लिखित व्यावसायिक केंद्रों के लिए एफ.ए.आर. भी केवल इस उद्देश्य हेतु उस सीमा तक स्वतः ही बढ़े हुए माने जाएंगे, यदि उपलब्ध नहीं हैं तो।

@ उन होटलों के संबंध में, जहां पर 27.01.2006 से पूर्व भवन नक्शे

"होटल" के लिए एफ.ए.आर. 225 से बढ़ाकर 400 कर दिया गया है, पार्किंग को 3 से घटाकर 2 ईसीएस/100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल कर दिया गया और अन्य शर्ते निम्नानुसार परिवर्तित की जाती हैं :

परिवर्तित की व उपयोग /	अधिकतम	एफ	ऊंचाई	पार्किंग मानक	अन्य नियंत्र
उपयोग	कवरेज (%)	Ţ.	(मीटर)	ईसीएस/ तल	
परिसर	(,,,,	आर	` '	क्षेत्रफल का 100	
				वर्ग मीटर	
ਬ)	40	400	एन आर	2@	i. प्रांगण व
होटल		#	*		अधिकतम्
					अतिरिक्त
					भू–कवरेज
					अनुमति
					यदि प्रांग
					लिए
					अतिरिक्त
					भू–कवरेज उपयोग
					उपयाग जाता है
					जाता ह उपयोग मे
					गए भू—कव
					25% की
					एफ.ए.आर.
					की जाएगी।
					ii. तल
					अनुपात
					आर.) के अ
					30% का
					आवासीय :
					के लिए मा
					हक का
					किए
					व्यावसायिक
					कार्यालयों,
					एवं सेवा के लिए वि
					क ।लए ।व सकता है।
					iii. बढ़े हु
					ा।।. बढ़ हु ए.आर. की
					सरकार
					अधिसूचित /
					निर्धारित वि
					प्रभारों के
					की शर्त
					जाएगी।
एन आ	 अर्थेन मनितंत	उसीं गग	ਗਾਰ ਰਿਜ਼ਸੀ ਆ	रेन शमन सेवा एवं अ	च्यारी क

एन.आर.* — कोई प्रतिबंध नहीं, ए.ए.आई., दिल्ली अग्नि शमन सेवा एवं अन्य वैधानिक निकायों से क्लियरेंस की शर्त पर।

ii. एफ.ए.आर.# — 400 एफ.ए.आर. और 40% भू—तल कवरेज के मानक सभी होटलों के संबंध में लागू माने जाएंगे, जिनमें (क) व्यावसायिक केन्द्रों (IV), (V) और (ख) मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर ∕ सेंट्रल बिजिनिस डिस्ट्रिक्ट में स्थित होटल प्लॉट भी शामिल हैं किंतु लुटियंस बंगला जोन क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र और विरासत संरचनाओं में स्थित होटल शामिल नहीं हैं। ये मानक पैरा 5.8 में उल्लिखित होटलों की सभी श्रेणियां पर लागू होंगे। तालिका 5.4 (क) और (ख) में उल्लिखित व्यावसायिक केंद्रों के लिए एफ.ए.आर. तथा होटल एवं व्यावसायिक प्लाटों के एफ.ए.आर. भी केवल इस उद्देश्य हेतु उस सीमा तक स्वतः ही बढ़े हुए माने जाएंगे, यदि उपलब्ध नहीं हैं तो।

iii. अतिरिक्त एफ.ए.आर. का लाभ लेने के लिए भवन नक्शों के संशोधन में मामले में व्यापक पार्किंग योजना तैयार की जाएगी जिसमें विद्यमान पार्किंग प्रावधान शामिल हैं। [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

स्वीकृत थे वहां पर 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल के लिए 3 ई.सी.एस. के पार्किंग मानदंड केवल अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए लागू होंगे जोकि दि. मु.यो. 2021 में संशोधन के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होंगे। उन होटलों के संबंध में जहां पर भवन नक्शे 27.01.2006 को अथवा इसके पश्चात् स्वीकृत किए गए हैं वहां पर 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल के लिए 3 ई.सी. एस. के पार्किंग मानदंड सम्पूर्ण प्लॉट पर लागू होंगे।

तालिका 5.5 परिभाषाएं एवं उपयोग परिसरों में अनुमत कार्यकलाप

3. परिभाषा और 'होटल' उपयोग परिसर के लिए अनुमत कार्यकलाप

संशोधित परिभाषा और 'होटल' उपयोग परिसर के लिए अनुमत कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

	न	नुसा	र हैं
--	---	------	-------

उपयोग परिसर	परिभाषा	अनुमत कार्यकलाप
होटल	15 या अधिक व्यक्तितयों के ठहरने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला परिसर ।	

उपयोग	परिभाषा	अनुमत कार्यकलाप
परिसर		
होटल	अल्पावधि / दीर्घावधि आधार पर	होटल, सर्विस अपार्टमेंट
	15 या अधिक व्यक्तियों की	
	बोर्डिंग एवं लॉजिंग के लिए	तरण–ताल, हैल्थ क्लब, भोजनालय,
	कम से कम 10 लैटेबल कमरे	डिस्कोथिक, आवासीय इकाइयां,
	वाला परिसर।	(मालिकाना हकों के अंतरण सहित
		अथवा इसके बिना) व्यावसायिक
		कार्यालय, फ्लोर एरिया के 30% तक
		सीमित की जाने वाली खुदरा एवं सेवा
		दुकानें।

अध्याय 10.0 निर्मित विरासत का संरक्षण

पैरा 10.3 विरासत जोन

4. ..

vi. चिराग दिल्ली में विशेष विरासत परिसर।

तथापि संबंधित एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर इस सूची में और अधिक क्षेत्र शामिल किये जा सकते हैं। vi. चिराग दिल्ली में विशेष विरासत परिसर।

पैरा (i) और (ii) में उल्लिखित विरासत जोनों को विश्व विरासत शहरों की यूनेस्को की सूची में "इम्पीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली" के रूप में दर्ज करने हेतु रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा नामित किया गया है।

तथापि संबंधित एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर इस सूची में और अधिक क्षेत्रों को शामिल **किया जाए**।

अध्याय 13.0 सामाजिक आधारिक संरचना

तालिका 13.17 : सामाजिक—सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए विकास निमंत्रण

5.

豖.	श्रेणी		अधिकत	अन्य	
₹і.		तल कवरेज	एफ. ए. आर.	ऊंचाई	नियंत्रण
6.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	30%	120	एन.आर., ए.ए.आई., अग्नि शमन विभाग तथा अन्य वैधानिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	पार्किंग मानक 2 ईसी / 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल की दर से

टिप्पणियां :

- (i) सामुदायिक मनोरंजन क्लबों के मामले में 2000 वर्ग मीटर से अधिक व 5000 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र पर 50 एफ.ए.आर. स्वीकार्य होगा।
- (ii) मनोरंजनात्मक क्लब के मामले में 5000 वर्गमीटर से अधिक व 10000 वर्गमीटर तक के क्षेत्र पर 50 एफ.ए.आर. स्वीकार्य होगा।
- (iii) खुले क्षेत्रों में आउटडोर खेलों / क्रीड़ा सुविधाओं के अतिरिक्त, ग्राउंड़ कवरेज से मुक्त 300 वर्गमीटर तक का तरण—ताल अनुमत होगा।
- (iv) बेंकट हाल के मामले में,
 - (क) पार्किंग के लिए ग्राउंड आवरण (ग्राउंड एन्वेलप)
 के भीतर बेसमेंट अनुमत होंगे। पार्किंग के लिए
 स्टिल्ट फ्लोर अनुमत हैं।
 - (ख) सेवाओं / स्टोरंज के लिए बेसमेंट क्षेत्र के 30% को एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा।

'अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र' से संबंधित संशोधन निम्नानसार हैं :

अंतराष्ट्रीय सम्मलन कद्र स संबंधित संशोधन निम्नानुसार है :								
क्र	श्रेणी		अधि	अन्य				
सं.		तल एफ.ए. ऊंचाई		नियंत्रण				
		कवरेज	आर.					
6.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	60%	250	एन.आर., ए.ए.आई., अग्नि शमन विभाग तथा अन्य वैधानिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	i. पार्किंग मानक 2 ईसी /100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल की दर से। ii. होटल और संबंधित कार्यकलाप तल क्षेत्रफल के 40% तक सीमित होंगे।			

टिप्पणियां :

(i)

- विद्यमान क्रम संख्या i व ii को सार्वजनिक सूचना दिनांक 28.05.2013 के तहत मिला दिया जाना / संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। अतः तदनुसार क्रम संख्या बदल जाएगी।
- (ii) 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र
 (क) एफ.ए.आर. 10 कम कर दिया जाएगा और तल कवरेज 10 हेक्टेयर
 की प्रत्येक वृद्धि के लिए 5% कम कर दिया जाएगा। एफ.ए.आर.
 के लिए न्यूनतम सीमा 120 होगी और तल कवरेज 30% होग।
 - (ख) होटलों और संबंधित कार्यकलापों को फ्लोर एरिया के अधिकतम 40% तक सीमित किया जाए।
- (iii) खुले क्षेत्रों में आउटडोर खेलों / क्रीड़ा सुविधाओं के अतिरिक्त, ग्राउंड़ कवरेज से मुक्त 300 वर्गमीटर तक का तरण—ताल अनुमत होगा।
- (iv) बेंकट हाल के मामले में,
 - (क) पार्किंग के लिए ग्राउंड आवरण (ग्राउंड एन्वेलप) के भीतर बेसमेंट अनुमत होंगे। पार्किंग के लिए स्टिल्ट फ्लोर भी अनुमत हैं।
 - (ख सेवाओं / स्टोरेज के लिए बेसमेंट क्षेत्र में 30% को एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा।

तालिका 13.27 : सामाजिक—सांस्कृतिक और सामुदायिक सुविधाएं

 क.
 उपयोग
 परिभाषाएं
 अनुमत कार्यकलाप

 सं.
 परिसर

संगोष्ठियों आदि के निगरानी आव लिए सभी (20 वर्गमीटर त सुविधाओं वाला आवासीय फ परिसर। (अनुरक्षण स्टॉफ लिए), रेस्तरां, हैं डांक एवं तार र पुस्तकालय, प्रदश् केंद्र।	एषं सम्मेलन केंद्र सम्मेलनों, बैठकों, संगोष्टियों निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), आवासीय फ्लैट (अनुरक्षण स्टॉफ के के), वाला परिसर। लिए)। रेस्तरां, बैंक, डाक पूर्व तार घर, पुस्तकालय, प्रदर्शनी केंद्र। तालिका 13.17 एवं तालिका 5.5 के अनुसार अनुमत कार्यकलाये वाले होटल।
पैरा 15.4 मिश्रित उपयोग को शासित करने वाली सामान्य निबंधन एवं शतें	
7. समूह आवास में पैरा 15.6.3 के संबंध में केवल व्यावसायिक गतिविधियां एवं छोटी दुकानों की ही अनुमित होगी। समूह आवास के ले—आऊट प्लान में विशेष रूप से व्यवस्था की गई खुदरा दुकानों की अनुमित होगी। 1 [तथापि मिश्रित उपयोग/व्यावयासिक उपयोग क्षेत्र/खंडों/सड़कों पर बने डीडीए फ्लैटों का पूरा भूतल मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमत है। दो या अधिक डी.डी.ए. फ्लैटों का समामेलन अनुमत नहीं है। कम सं. 4 पैरा 15.3 के पैरा 15.3.2 के अंतर्गत सभी श्रेणियों की कॉलोनियों 8. पैरा 15.6.3 के संबंध में केवल व्यावसायिक गतिविधियों, छोटी दुकानों और स्कूल के बच्चों के ट्यूशन सेंटर की ही अनुमित है। पैरा 15.4(ii) के तहत समूह आवास के ले—आउट प्लान में विशेष रूप से व्यवस्था की गई दुकानों की अनुमित दी जाएगी।	• पैरा 15.6.3 के संबंध में केवल व्यावसायिक गतिविधियों, छोटी दुकानों और स्कूल के बच्चों के ट्यूशन सेंटर की ही अनुमति है। पैरा 15.4(ii) के तहत समूह आवास के ले—आउट प्लान में विशेष रूप से व्यवस्था की गई दुकानों की अनुमति दी जाएगी। नियोक्ता आवास (सरकारी आवास, सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों के सांस्थानिक/स्टॉफ आवास) के मामले में, 'आवासीय प्लॉट-समूह आवास' के लिए तालिका 4.3 में अनुमत उपयोग गतिविधियों की ले—आऊट प्लान के अनुमोदन के भाग के रूप में अनुमति होगी। आवासीय प्लॉट/पलैट में
	गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
पैरा 15.7.1 9. कोई प्रावधान नहीं है।	क्रम सं. (ज) को निम्नानुसार जोड़ा जाए : (ज) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र [आईटीआई/पॉलिटैक्निक/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान/ए.आई.सी.टी.ई. मानदंडों के अनुसार, ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा स्तर) के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान]
पैरा 15.7.3	
10 कोई प्रावधान नहीं है। अध्याय 17.0 : विकास संहिता उपखंड 8(3) के अंतर्गत सामान्य टिप्पणी : उपयोग परिसरों के भीतर भवन 1	क्रम सं. पैरा (xi) को निम्नानुसार जोड़ा जाए : (xi) पैरा 15.7.1 (ज) में दी गई गतिविधियों को 1000 वर्ग.मी. और उससे अधिक आकार के वैयक्तिक आवासीय प्लॉटों पर अनुमति दी जाएगी।
11. कोई प्रावधान नहीं है।	निम्निलिखित टिप्पणी को क्र.सं. 5 के रूप में जोड़ा जाए : 5. 'आवासीय प्लॉट-प्लॉटिड आवासन' को छोड़कर 1000 वर्ग मी. तथा इससे बड़े आकार के सभी प्लाटों के मामलों में, प्रांगण की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी, कि प्रांगण के प्रावधान के लिए अधिकतम 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि प्रांगण के लिए अनुमत अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है तो उपयोग किए गए 25% ग्राउंड कवरेज को एफ.ए.आर. में गिना जाएगा। **
कर जाएगा।	 गण के मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाएगा और पैराग्राफों की संख्या को तद्नुसार संशोधित दिया
उप-खंड 8(5) बेसमेंट 12. (क) पार्किंग और सेवा अपेक्षाओं जैसे एअर कन्डीशनिंग प्लांट और जल संग्रह, बाइलर, विद्युत सब-स्टेशन एचटी और एलटी पैनल रूम, ट्रांसफार्मर कंपार्टमेंट, नियंत्रण कक्ष, पम्प हाऊस, जेनरेटर रूम ओर अन्य यांत्रिक सेवाएं तथा विद्युत एवं अग्नि शमन उपस्करों का संस्थापन तथा भवन निर्माण के लिए अपेक्षित अन्य सेवाओं के समतुल्य अधिकतम सेटबैक लाइन तक के बेसमेंट / बेसमेंटों की अनुमति संबंधित एजेंसियों के अनुमोदन से दी जा सकती है और उन्हें एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा। परंतु इन सेवाओं के लिए उपलब्ध स्थान बेसमेंट के 30% क्षेत्रफल से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड 8.0 उपयोग जोनों का उप-विभाजन, उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों 13. कोई प्रावधान नहीं है।	(क) पार्किंग और सेवा अपेक्षाओं जैसे एअर कन्डीशनिंग प्लांट और जल संग्रह, बाइलर, विद्युत सब-स्टेशन एचटी और एलटी पैनल रूम, ट्रांसफार्मर कंपार्टमेंट, नियंत्रण कक्ष, पम्प हाऊस, जेनरेटर रूम ओर अन्य यांत्रिक सेवाएं तथा विद्युत एवं अग्नि शमन उपस्करों का संस्थापन तथा भवन निर्माण के लिए अपेक्षित अन्य सेवाओं के समतुल्य अधिकतम सेटबैक लाइन तक के बेसमेंट / बेसमेंटों की अनुमति संबंधित एजेंसियों के अनुमोदन से दी जा सकती है और उन्हें एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा। होटलों के मामले में लॉड्री, खाद्य पदार्थों के भंडारण हेतु कोल्ड रूम, लिनेन स्टोर, गार्बेज रूम, हाउस-कीपिंग स्टोर एवं कोल्ड स्टोरेज की अनुमति दी जा सकती है। कि अनुमति और भवनों का नियंत्रण उप-खण्ड 8(7) निम्नानुसार जोड़ा गया है: 8(7) उन्हें भवन (क) सभी उपयोग जोनों में 15 मीटर (स्टिल्ट के बिना) और 17.5 मीटर (स्टिल्ट
	(म) प्रसान जाना ने जाना है निर्देश (स्टिस्ट के निर्देश) जाने किया जाना जाएगा। (ख) स्टिल्ट तल में स्टेक-पार्किंग के प्रावधानों के मामले में स्टिल्ट तल के लिए न्यूनतम 2.4 मीटर ऊंचाई में छूट दी जा सकती है। (ग) भवनों के रखरखाव के लिए अपेक्षित उपकरणों तथा सेवाओं की संस्थापना के लिए इंटरर्मिटेंट सर्विस तल की अनुमित संबंधित एजेंसियों के पूर्व-अनुमोदन से

दी जा सकती है और इसकी गणना एफएआर में नहीं की जाएगी। सेवा—तल की कचाई का निर्णय ढांचागत तत्वों की गहरायी, जलाशय, अन्य उपकरण इत्यादि लगाने के ऊंचाई अपेक्षा के आधार पर की जाएगी। किसी भी बीम के नीचे के भाग की ऊंचाई, निर्मित फ्लोर नेवल से 1.8 मीटर से अधिक नहीं होगी और यदि कोई फाल्स फ्लोर है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। (घ) बढ़ी हुई पार्किंग आवश्यकताओं और तहखानों की संख्या को कम करने को ध्यान में रखते हुए तहखानों के लिए लागू अनिवार्य सेटबेक प्लाट की चारदीवारी के चारों ओर 2 मीटर होगा। (इ) चबूतों की अनुमित, अग्निशमन विभाग से अनापित प्राप्त होने की शर्त पर सेटबेक लाइनों के अंदर दी जाएगी। चबूतरे के अंदर वाहनों की आवाजाही एवं पार्किंग प्रतिबंधित होगी। स्वीमिंग पूल, भू—दृश्यांकन और संबंधित ढ़ांचों, जैसे उपयोगों के लिए छत के ऊपरी भाग की अनुमित होगी।

 प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.—2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अविध के दौरान सभी कार्य—दिवसों को उप—निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग कार्यालय, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली—110002 में उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. एफ. 20(13) / 2013—एमपी]

डी सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th September, 2013

S.O. 2905(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of forty-five days from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s) which should be readable.

Modifications:

Para					MPI	2021				
/ S. No.		Exi	isting Provi	sions		Proposed Amendments/Modifications				
1			2					3		
CHAP	TER 4.0-SH	ELTER								
4.4.3 A	. Residential	l Plot – Plo	tted Housin	ıg, Terms	and Conditions					
1.	(vi) Basement: Basement shall not be counted towards FAR if used for purposes permissible under Building byelaws namely household storage and parking. Basement area shall not extend beyond the coverage on the ground floor as per permissible and sanctioned built up area, but may extend to the area below the internal courtyard and shaft. Basement if used in terms of Chapter 15.0. Mixed Use regulations shall count towards FAR and shall be liable to payment of appropriate charges, if it exceeds the permissible				vi) Basement: Basement shall not be counted towards FAR if used for purposes permissible under Building byelaws namely household storage and parking. Basement up to the setback line shall be permitted. Wherever, no setback is prescribed, a minimum of two metres setback shall be provided in basements on all sides. Basement if used in terms of Chapter 15.0. Mixed Use regulations shall count towards FAR and shall be liable to payment of appropriate charges, if it exceeds the permissible FAR.					
CHAP	TER 5.0-TR	ADE AND	COMMER	RCE						
Table 5	5.4: Develop	ment Cont	rols – Comi	nercial C	entres	FAR for 'I	Hotel' is an	panced from 225	to 400, parking is	
<i>2</i> .	Use/ use premises d) Hotel	Coverage (%)	FAR Height (mts) 225# NR*	Parking Standard ECS/100 sqm. of floor area 3@	i. Maximum 10 ground coverage sh	reduced fro conditions a Use/	om 3 to 2 EO are modified,	CS/100 sqm. of	Other controls	

	providing d)	40 400# NR*	2 @ i. Maximum 10%
	atrium. In case, Hot	tel	ground coverage
	the permissible		shall be allowed
	additional		for providing
	ground		atrium. In case,
	coverage for		the permissible
	atrium		additional ground
	utilized, 25% of		coverage for
	the utilized		atrium is utilized,
	ground		25% of the
	coverage shall		utilized ground
	be counted		coverage shall be
	towards FAR.		counted towards
	ii. Maximum 20%		FAR.
	of the FAR can		ii. Maximum 30% of
	be used for the		the FAR can be
	Commercial		used for
	offices, Retail &		Residential units
	Service shops		without transfer
	iii. The		of ownership
	enhanced FAR		rights,
	will be allowed		Commercial
	subject to		offices, Retail &
	payment of		Service shops.
	charges to be		iii. The
	prescribed/		enhanced FAR
	notified by the		will be allowed
	Government.		subject to
NR* - No Restriction, subj	ect to clearance from AAI, Delhi		payment of
Fire Service and oth	er statutory bodies.		charges to be
FAR#-The norms of 225	FAR and 40% ground coverage		prescribed/
shall be applicable	in respect of all hotels including		notified by the
	ommercial Centres (iv), (v) and		Government.
(b) Metropolitan	City Centre/Central Business i. N	IR* - No Restriction, sub	ject to clearance from AAI,
District assessed the	1	N. 11. 1 Trime Committee and 1 - 41.	

FAR#-The norms of 225 FAR and 40% ground coverage shall be applicable in respect of all hotels including hotel plots in (a) Commercial Centres (iv), (v) and (b) Metropolitan City Centre/Central Business District except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and hotels existing on heritage structures. This shall apply to all categories of hotels mentioned at para 5.8. The FAR for Commercial Centres mentioned at Table 5.4(a) and (b) also shall stand enhanced automatically to that extent, for this purpose only if not available.

@ - In respect of hotels where the building plans stand sanctioned prior to 27.1.2006, parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable only for the additional FAR which will be availed consequent upon amendment to MPD-2021. In respect of hotels where the building plans have been sanctioned on or after 27.1.2006, the parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable to the entire plot.

Delhi Fire Service and other statutory bodies.

FAR# - The norms of 400 FAR and 40% ground coverage shall be applicable in respect of all hotels including hotel plots in (a) Commercial Centres (iv), (v) and (b) Metropolitan City Centre/Central Business District except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and hotels existing on heritage structures. This shall apply to all categories of hotels mentioned at para 5.8. The FAR for Commercial Centres mentioned at Table 5.4(a) and (b) as well as Hotel cum commercial plots shall stand enhanced automatically to that extent, for this purpose only if not available.

i. In case of revision of building plans to avail additional FAR, comprehensive parking plan shall be prepared which includes existing parking provisions.

Table 5.5: Definitions and Activities Permitted in Use Premises

The definition and activities permitted for 'Hotel' use premise, are as under:

Hotel A premise Hotel, used for Conferencing	permitted
lodging of Restaurant, 15 persons pool, Health C	Club, Food Discotheque. offices, retail hops to be

The revised definition and activities permitted for 'Hotel' use premise, are as under:

Use .	Definition	Activities permitted				
premise						
Hotel	A premise	Hotel, Service Apartment,				
	having	Banquet/ Conferencing				
	minimum 10	facilities, Restaurant,				
	lettable	Swimming pool, Health Club,				
	<i>rooms</i> for	Food court, Discotheque,				
	lodging of	Residential units (with or				
	and	without transfer of ownership				
	boarding of	rights), Commercial offices,				
	15 persons	retail & service shops to be				
	or more on	restricted to 30% of floor area.				
	short/long					
	term basis.					

CHAPTER 10.0- CONSERVATION OF BUILT HERITAGE

Para 10.3 HERITAGE ZONES

vi. Specific heritage complex within Chirag Delhi.

However more areas can be added to this list based on studies by concerned agencies.

vi. Specific heritage complex within Chirag Delhi.

Heritage Zones mentioned in para (i) and (ii) have been nominated by GNCTD for inscription as 'Imperial Cities of Delhi' in UNESCO's list of World Heritage Cities.

However more areas may be added to this list based on studies by concerned agencies.

CHAPTER 13.0-SOCIAL INFRASTRUCTURE

Table 13.17: Development Controls for Social-Cultural Facilities

Sl.	Category		Other		
No.		Ground Coverage	FAR	Height	Contro
6	International convention centre	30%	120	NR, subject to approval of AAI, Fire Department and other statutory bodies	Parking standar @2EC/ 100 sq of flo area

- i) In case of Community Recreational Clubs, 50 FAR shall be admissible on the area beyond 2000 sqm. and below
- ii) In case of Recreational Club, 50 FAR shall be admissible on the area beyond 5000 sqm. and upto 10,000 sqm.
- iii) In the open area apart from outdoor games/sport facilities, swimming pool would be permissible upto a area of 300 sqm. free from ground coverage.
- iv) In case of Banquet Hall,
 - a. Basements within the ground envelope shall be allowed for parking. Stilt floor for parking is
 - b. 30% of basement area for services / storage shall not be counted in FAR.

Modifications related to 'International Convention Centre' are as under:

SI.	Category	Maximum			Other		
No		Ground FA		Height	Controls		
•		Coverag	R				
		e					
6	Internation	<u>60%</u>	250	NR,	i. Parking		
	al			subject to	standard		
	convention			approval	@2EC/ 100		
	centre			of AAI,	sq m of		
				Fire	floor area		
				Departme	ii.Hotels and		
				nt and	related		
				other	activities		
				statutory	to be		
				bodies	restricted		
					to 40% of		
					floor area.		

- Existing S. No.'i) & ii)' are proposed to be merged/modified vide Public Notice dated 28.05.2013. Hence the numbering will change, accordingly.
- In case of plots more than 4 Ha. International Convention centre,
 - FAR shall be reduced by 10 and Ground Coverage shall be reduced by 5% for every increase of 10 Ha. The minimum limit for FAR shall be 120 and Ground Coverage 30%.
 - Hotels and related activities to be restricted to maximum upto 40% of floor area.
- In the open area apart from outdoor games/sport (iii facilities, swimming pool would be permissible upto a area of 300 sqm. free from ground coverage.
- In case of Banquet Hall, iv)
 - Basements within the ground envelope shall be allowed for parking. Stilt floor for parking is permissible.
 - 30% of basement area for services / storage shall not be counted in FAR.

Table 13.27: Socio-Cultural and Community Facilities

6.								
	S.	Use Premises	Definitions	Activities	S.	Use Premises	Definitions	Activities
	No			Permitted	No.			Permitted
	13.	International	A premise having all	International	13.	International	A premise having all	International
		convention	facilities for	Convention		convention	facilities for	Convention
		centre	international/national	Centre,		centre	international/national	Centre, watch
			conferences,	watch and			conferences,	and ward
			meetings,	ward			meetings,	residence (up to
			symposium, etc.	residence (up			symposium, etc.	20 sq mt),
				to 20 sq mt),				residential flat
				residential				(for
				flat (for				maintenance
				maintenance				staff),
				staff),				restaurant, bank,
				restaurant,				post and
				bank, post				telegraph office,

СНА	and telegraph office, library, exhibition centre. PTER 15.0-MIXED USE REGULATIONS	library, exhibition centre. Hotels with permissibility of activities as per Table 13.17 and Table 5.5.				
	15.4 GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERNING	G MIXED USE				
7.	In group housing Only professional activity and small shops in terms of para 15.6.3 shall be permissible. Retail shops specifically provided for in the lay out plan of group housing would be permissible. 1[However, the entire ground floor of DDA flats on mixed use/commercial use area/stretches/roads is allowed for mixed use/commercial use. No amalgamation of two or more DDA flats shall be allowed.	In group housing Only professional activity and small shops in terms of para 15.6.3 shall be permissible. Retail shops specifically provided for in the lay out plan of group housing would be permissible. 1[However, the entire ground floor of DDA flats on mixed use/commercial use area/stretches/roads is allowed for mixed use/commercial use. Only shop of maximum size of 20 sqm is permitted and rest of the area may be used for professional activity. No amalgamation of two or more DDA flats shall be allowed.				
	4. Group housing in all categories of colonies under Para 15					
8.	 Only professional activity, small shops in terms of para 15.6.3 and tuition centres for school children only shall be permissible. Retail shops specifically provided for in the lay out plan of group housing under para 15.4(ii) would be permissible. 	• Only professional activity, small shops in terms of para 15.6.3 and tuition centres for school children only shall be permissible. Retail shops specifically provided for in the lay out plan of group housing under para 15.4(ii) would be permissible. In case of Employer Housing (government housing, institutional/staff housing of public and private agencies), the use activities permitted in Table 4.3 for 'Residential Plot- Group Housing' will be allowed as part of the approval of the Layout Plan. Non-residential activity will not be permitted within residential plot/flat.				
Para	15.7.1					
9.	No provision.	S.No. (h) to be added, as under: (h) Vocational Training Centre (ITI/Polytechnic/Vocational Training Institute/Management Institute/Teacher Training Institute for the AICTE				
Para	15.7.3	approved courses (diploma level) as per AICTE Norms.				
10.	No provision.	S.No.para (xi) to be added, as under:				
	PTER 17.0-DEVELOPMENT CODE	(xi) The activity given in Para 15.7.1 (h) shall be permitted on individual residential plots of size 1000 sq.m. and above.				
	ral Notes under Sub-Clause 8(3) REGULATIONS FOR BUIL	LDING CONTROLS WITHIN USE PREMISES				
11.	No provision.	Following note to be added as S.No.5:				
		5. In case of all the plots of size 1000 sq.m. and above, except 'Residential Plot- Plotted Housing', atrium will be permitted with stipulations - Maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted towards FAR. **				
Note:	1 01	atrium in other use-premises will be deleted and the numbering				
CIID	of paragraphs to be modified accordingly.					
12.	Clause 8(5) BASEMENTS (a) Basement(s) upto the setback line maximum equivalent	(a) Basement(s) upto the setback line maximum equivalent				
	to parking and services requirement, such as Air Conditioning Plant and equipment, water storage, Boiler, Electric Sub-Station HT and LT Panel rooms, Transformer Compartment, Control Room, Pump House, Generator Room and other mechanical services and installation of electrical and fire fighting equipments, and other services required for the	to parking and services requirement, such as Air Conditioning Plant and equipment, water storage, Boiler, Electric Sub-Station HT and LT Panel rooms, Transformer Compartment, Control Room, Pump House, Generator Room and other mechanical services and installation of electrical and fire fighting equipments, and other services required for the				
	maintenance of the building with prior approval of the	maintenance of the building with prior approval of the				

concerned agencies, could be permitted and not to be concerned agencies, could be permitted and not to be counted in FAR. However, the area provided for counted in FAR. In case of Hotels Laundry, Cold services should not exceed 30% of the basement area. Room for storing Food articles, Linen store, Garbage room, Housekeeping store and cold storage may be allowed. CLAUSE 8.0 SUB DIVISION OF USE ZONES, PERMISSION OF USE PREMISES IN USE ZONES AND CONTROL OF BUILDINGS Sub-Clause 8(7) is added, as under: No provision. 8(7) HIGH RISE BUILDINGS a) Buildings taller than 15M (without stilt) and 17.5M (including stilt) in all use zones will be considered as a High Rise Building. b) In case of provision of stack-parking in stilt floor, minimum height of 2.4 m. for stilt floor may be relaxed. Intermittent service floor may be permitted for installation of equipments and services required for the maintenance of the building with prior approval of the agencies concerned and is not to be counted in FAR. The height of the service floor is to be decided based on the depth of structural members, the height requirement for providing water-reservoirs, other equipments, etc. Height below bottom of any beam shall not be more than 1.8 m from the finished floor level excluding false floor if any. d) In view of the increased parking requirement and to reduce the number of basements, the mandatory setbacks applicable for basements shall be 2M on all sides from the plot boundary. e) Podium(s) will be permitted within the setback lines

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above.

[F. No. 20(13)/2013-MP] D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

subject to clearance from the fire department. The movement of vehicles and parking shall be restricted within the podium. Rooftop to be allowed for uses such as swimming pool, landscaping, and related structures.